UPMP010008722026

**न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri**

**पीठासीन अधिकारी–** (Rupesh Ranjan), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा ) – UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं–365/2026

मनीष पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ममसीरपुर,थाना करहल जिला मैनपुरी।

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

......विपक्षी/वादी

**आदेश**

1– प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–497/2025 सत्र परीक्षण संख्या 55/2026 अन्तर्गत धारा 80(2),85,115(2)BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना करहल जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि'' प्रार्थी/वादी शिवप्रसाद ने अपनी भतीजी शिवानी पुत्री स्व. राजीव कुमार निवासी ग्राम ज्वालापुर थाना जसवन्तनगर जिला इटावा की शादी दिनांक 21–05–2023 को हिन्दू रीति–रिवाज के साथ मनीष पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मशीरपुर थाना करहल जिला मैनपुरी के साथ सम्पन्न किया था तथा शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। विवाह के उपरान्त ससुरालीजनों मनीष पुत्र राजेन्द्र सिंह पति,राजेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वरदयाल ससुर,मुन्नीदेवी पत्नी राजेन्द्र सिंह सास द्वारा अतिरिक्त माँग दहेज में सोने के जंजीर व एक लाख रूपये को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तथा मेरी भतीजी के साथ आये दिन मारपीट व गाली गलौज की गयी। इसकी शिकायत मेरी भतीजी ने घर आकर की थी। प्रार्थी ने रिश्तेदारों से इसकी शिकायत की तो समझाने बुझाने पर भविष्य में पुनः ऐसी घटना न करने का आश्वासन दिया था। दिनांक 09–12–2025 को प्रार्थी को समय करीब 7:21 मिनट पर सूचना मिली कि मेरी भतीजी शिवानी की हत्या उसके पति,ससुर व सास ने अतिरिक्त माँग दहेज में एक लाख रूपए व सोने की जंजीर न देने की वजह से कर दी है तथा सभी लोग शिवानी के शव को तथा उसकी एक वर्षीय नाबालिग पुत्री को छोड़कर भाग गये हैं। प्रार्थी अपने परिवारीजनों के साथ जब मौके पर पहुँचा तो शिवानी का शव चारपाई पर पड़ा था। अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आधार प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया गया है कि उक्त घटना से उसका कोई सरोकार वास्ता नहीं है। उसको पति होने के नाते उक्त मुकदमे में जानबूझकर झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। वह निर्दोष व निरअपराध है। तथाकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सरासर

असत्य व मनगढ़न्त व पूर्ण रूप से संदिग्ध व झूंठी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग 24 घण्टे बाद विधिक परामर्श लेकर दर्ज करायी गयी है। देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तथाकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अतिरिक्त दहेज की माँग करना बताया गया है,किन्तु इसकी कहीं पुलिस आदि में शिकायत करने का कोई उल्लेख नहीं है जो कि स्वतः अभियेाजन के कथन को संदिग्ध करता है। अतिरिक्त दहेज मांगने की बात मुकदमे को रंगत देने व प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाने के उददेश्य से दर्शायी गयी है,जबकि वास्तविकता में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका से कभी किसी प्रकार की कोई दहेज की माँग नहीं की गयी और न ही उसे इस बावत प्रताड़ित किया गया। वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कब–कब अर्थात किस तारीख को मृतका को दहेज की खातिर प्रताड़ित किया गया तथा किस तारीख को पीड़िता द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्णतः संदेह से परिपूर्ण तथा मनगढ़न्त प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त ने मृतका को बतौर पत्नी अपने घर पर रखा तथा उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि इस दौरान प्रार्थी अथवा उसके परिजनों द्वारा मृतका को किसी प्रकार से कोई कष्ट पहुँचाया जाता अथवा प्रताड़ित किया जाता तो अवश्य ही मृतका अथवा उसके परिजनों द्वारा थाने पर शिकायत की जाती किन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे यह स्वतः साबित है कि प्रार्थी अथवा उसके परिजनों द्वारा कोई अतिरिक्त दहेज की माँग पीड़िता से नहीं की गयी और न ही इस बाबत उसकी हत्या की गयी। विवाह के दो वर्षों तक किसी प्रकार की अतिरिक्त दहेज की माँग अथवा इस उददेश्य से प्रताड़ित करने की कोई शिकायत कहीं दर्ज नही करायी गयी। यह तथ्य स्वतः सिद्ध करता है कि अतिरिक्त दहेज की माँग तथा इसके लेकर मृत्यु कारित करना मात्र झूंठी सहानुभूति लेने एवम प्रार्थी/अभियुक्त को नाजायज फंसाकर अनुचित लाभ लेने का कुत्सिक प्रयास है। वादी मुकदमा द्वारा लोगों के बहकावे में आकर प्रार्थी के विरूद्ध झूंठा मुकदमा मनगढ़न्त कहानी बनाकर अनावश्यक दबाब बनाने व अनुचित लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से दर्ज कराया गया है जो कि सत्यता से सर्वथा विपरीत है। अभियुक्त का कोई विशिष्ट रोल कथित घटना में नहीं दर्शाया गया है। उक्त घटना का ऐसा कोई स्वतन्त्र एवम निष्पक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जो कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कथित घटना कारित करना सिद्ध कर सके , इससे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी जमानत देना चाहता है। जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृ ति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार

वादी मुकदमा ने अपनी भतीजी शिवानी का विवाह अभियुक्त मनीष के साथ दिनांक 21–05–2023 को हिन्दू रीति–रिवाज से किया था। विवाह के उपरान्त अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज में सोने की जंजीर व एक लाख रूपए की मांग को लेकर मृतका के साथ मारपीट,गाली गलौज व उत्पीड़न किये जाने का कथन किया गया है। मृत्यु के समय मृतका का अपने पति/आवेदक के साथ ही रहना बताया गया है। कथित घटना

दिनांक 09-12-2025 को होना कहा गया है। पोस्टमार्टम रिपेार्ट में मृत्यु का कारण Asphyxia due to antemortem hanging दर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा की भतीजी की अस्वाभाविक मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त मनीष द्वारा जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 11-03-2026

**(रूपेश रंजन)**

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,

पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.03.11 16:49:38 +0530